न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 279/2023(जी.सी.एम.एस. 2023/376)

वादी	बनाम प्रतिवादीगण
1. विक्रमजीत सिंह पुत्र भजन सिंह जाति जटसिख निवासी 2 वी प्रथम तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर।	1. प्रताप सिंह पुत्र भजन सिंह जाति जटसिख निवासी 2 वी प्रथम तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर(मृतक) 1/1 कलवन्त सिंह पुत्र प्रताप सिंह जाति कम्बोज निवासी 1 वी तहसील श्रीकरणपुर। 1/2 हरमीत सिंह पुत्र प्रताप सिंह जाति कम्बोज निवासी 1 वी तहसील श्रीकरणपुर। 1/3 बलवन्त सिंह पुत्र प्रताप सिंह जाति कम्बोज निवासी 1 वी तहसील श्रीकरणपुर। 1/4 मनजीत कौर पुत्री प्रताप सिंह जाति कम्बोज निवासी 1 वी तहसील श्रीकरणपुर। 1/5 सुखविन्द्र कौर पुत्री प्रताप सिंह जाति कम्बोज निवासी 1 वी तहसील श्रीकरणपुर। 1/6 अमरजीत कौर पत्नी प्रताप सिंह जाति कम्बोज निवासी 1 वी तहसील श्रीकरणपुर। 2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 31.08.2023

उपस्थितः1. श्री पलविन्द्र सिंह, श्री प्रेम कुमार अधिवक्ता वादी
2. श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1/1

--निर्णय-- दिनांकः 08.05.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 2 वी प्रथम, पटवार हल्का 7 एस कीकरवाली, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 28/27 के मुरब्बा नम्बर 31 की कुल 3.036 हैक्टेयर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त खातों की भूमि मुश्तर्का खाता में दर्ज है। दोनों काश्तकारों ने अपने जीवनकाल में काश्त की सहूलियत से मौखिक बंटवारानामा किया हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 प्रताप सिंह की मृत्यू हो चुकी है। उनके बाद उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/6 का हिस्सा अनुसार कब्जा चला आ रहा है। वादी को बंटवारानामा में चक 2 वीं प्रथम के मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 2 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 9 की 0.153 हैक्टेयर, किला नम्बर 12 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 13/1 की 0.126 हैक्टेयर, किला नम्बर 13/2 की 0.127 हैक्टेयर, किला नम्बर 18/1 की 0.126 हैक्टेयर, किला नम्बर 18/2 की 0.127 हैक्टेयर, किला नम्बर 19 ता 23 सालम-सालम कुल 2.430 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई है। इस प्रकार से उक्त वर्णित मुरब्बा के किलाजात पर वादी का कब्जा काश्त काफी समय से निरंतर, निर्बाध, शांतिपूर्वक चला आ रहा है, लेकिन वादी का उक्त रकबा संयुक्त खाता में अंकित होने के कारण वादी को हर समय भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी खाता विभाजन हेतु वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे है। वादी आज से 5 दिन पूर्व प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/6 से मिला व संयुक्त खाता की भूमि का हिस्सानुसार किलावाईज विभाजन करने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर चक 2 वी प्रथम, पटवार हल्का 7 एस कीकरवाली, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 28/27 के मुरब्बा नम्बर 31 किला नम्बर 2 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 9 की 0.153 हैक्टेयर, किला नम्बर 12 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 13/1 की 0.126 हैक्टेयर, किला नम्बर 13/2 की 0.127 हैक्टेयर, किला नम्बर 18/1 की 0.126 हैक्टेयर, किला नम्बर 18/2 की 0.127 हैक्टेयर, किला नम्बर 19 ता 23 सालम-सालम कुल 2.430 हैक्टेयर भूमि का खाता व लगान वादी के नाम अलग से कायम किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1/1 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा उपस्थित आए व जवाबदावा पेश किया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

जवाबदावा के अनुसार वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है, तो प्रतिवादी को कोई एतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1/2 ता 1/6 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1/2 ता 1/6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है। प्रतिवादी संख्या 1/1 को वादी का वादपत्र स्वीकार है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। वादी अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादी अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहता है। लिहाजा वादी के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि चक 2 वी प्रथम, पटवार हल्का 7 एस कीकरवाली, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 28/27 के मुरब्बा नम्बर 31 की कुल 3.036 हैक्टेयर भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसमें वादी के 2.430 हैक्टेयर भूमि का हिस्से माफिक वादी के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

4. बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान वादी अधिवक्ता ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस वादी अधिवक्ता व तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेशः-

5. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि चक 2 वी प्रथम, पटवार हल्का 7 एस कीकरवाली, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 28/27 के मुरब्बा नम्बर 31 की कुल 3.036 हैक्टेयर भूमि में से वादी विक्रमजीत सिंह के नाम दर्ज 2.430 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	विक्रमजीत सिंह पुत्र भजन सिंह जाति जटसिख निवासी 2 वी प्रथम तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर। (2.430 हैक्टेयर)	2 वीं	31	2 9 12 13/1 13/2 18/1 18/2 19, 20 21 ता 23	0.253 हैक्टेयर 0.153 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर 0.126 हैक्टेयर 0.127 हैक्टेयर 0.126 हैक्टेयर 0.127 हैक्टेयर 0.506 हैक्टेयर 0.759 हैक्टेयर	नहरी नहरी बारानी नहरी बारानी नहरी बारानी बारानी नहरी	2.25 1.36 1.10 1.12 0.55 1.12 0.55 2.20 6.75

शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

निर्णय आज दिनांक 08.05.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर